# अध्याय 6 – ई–नीलामी प्लेटफार्म

## 6.1 परिचय

ई–नीलामी प्रक्रिया की प्रणाली और स्वरूप का विस्तार इस प्रतिवेदन के अध्याय–2 में किया गया है। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (एन ए) ने (11 दिसम्बर 2014) एम एस टी सी लिमिटेड (एम एस टी सी) को ई–नीलामी सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार, एम एस टी सी और एन ए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) 23 दिसम्बर 2014 को हस्ताक्षरित किया गया और यह उस अवधि तक मान्य था जब तक 204 कोयला ब्लॉक ई–नीलामी एवं आबंटन द्वारा आबंटित न हो जाएँ।

इस समझौते के अनुसार, एम एस टी सी को निम्न जिम्मेदारी सौंपी गईः

- भावी बोलीदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण;
- वेबसाइट द्वारा ई–नीलामी का प्रचार;
- एन ए के परामर्श से ई–नीलामी की अवधि और कलैण्डर बनाना;
- भावी बोलीदाताओं की जानकारी हेतु ई–नीलामी कैटलॉग में न्यूनतम मूल्य दर्शाना;
- उचित, निर्बाध और पारदर्शी तरीके से ई–नीलामी करवाना;
- ई–नीलामी की समाप्ति पर एन ए के लिए सिस्टम द्वारा बोली शीट बनाना।

एम एस टी सी की वेबसाइट पर ई–नीलामी के प्लेटफार्म पर ऑन–लाइन नीलामी की जानी थी।

## 6.2 ई–नीलामी प्लेटफार्म की रूपरेखा

भारत सरकार (जी ओ आई) के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एम एस टी सी एक लघु रत्न श्रेणी–I सार्वजनिक उपक्रम (पी एस यू) है। यह कम्पनी मुख्यतः दो भागों में काम करती है नामतः i) व्यापार ii) अपने ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से व्यापार करना। ज्ञापन के अनुसार, कोयला खानों की ई–नीलामी के लिए इसने अपनी मुख्य ई–कॉमर्स वेबसाइट के अन्तर्गत एक अंतः–भाग तैयार किया।

सभी इच्छुक बोलीदाताओं को स्वयं को इस वेबसाइट पर निःशुल्क पंजीकृत करवाना आवश्यक था। पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ सामान्य और विशिष्ट शर्तों और उपबंधों को स्वीकार करना और कुछ निश्चित दस्तावेजों जैसे कंपनी का स्थायी खाता संख्या (पैन), सम्पर्क व्यक्ति की आई डी, उस व्यक्ति का डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी एस सी), प्राधिकरण पत्र आदि के प्रस्तुतिकरण के बाद आनॅलाइन फार्म भरना शामिल था। प्रत्येक बोलीदाता को केवल एक ही बार पंजीकरण करना था और उसी पंजीकरण से वह बहुसंख्यक कोयला खानों की बोली में भाग ले सकता था।

एन ए ने कंपनी के ई–नीलामी पोर्टल में अपलोड करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों को उपलब्ध करवाया था। इन दस्तावेजों में से कुछ 'सार्वजनिक दस्तावेज' की श्रेणी में थे नामतः मानक निविदा दस्तावेज (एस टी डी), मानक कोयला खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (सी एम डी पी ए), मानक निधान आदेश,

खान का सारांश, उपभोग के नियम आदि जो निःशुल्क उपलब्ध थे और अन्य को दत्तशुल्क दस्तावेजों की श्रेणी में रखा गया नामतः प्रत्येक खान के लिए निविदा दस्तावेज, खान डोज़ियर आदि जो प्रत्येक कोयला खान के लिए ₹पाँच लाख के भुगतान पर उपलब्ध थे। एम एस टी सी ने एन ए की ओर से इच्छुक बोलीदाताओं से अपनी ऑन–लाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से ₹पाँच लाख का शुल्क वसूल किया और उन बोलीदाताओं को एम एस टी सी की वेबसाइट से दत्तशुल्क दस्तावेजों को डाउनलोड करने दिया। बोलीदाताओं को केवल उन्हीं कोयला खानों की बोली प्रस्तुत करने की अनुमति थी जिनके लिए उन्होंने शुल्क का भुगतान किया था। इन दस्तावेजों के अलावा, कम्पनी ने बोली की समय–सारणी (चरण–I और चरण–II), बोलीदाता की संदर्षिका, शुद्धिपत्र आदि भी अपलोड किए।

## 6.3 आई टी प्रणाली अवसंरचना

सभी प्रकार की ई–नीलामी गतिविधियों के लिए जिसमें कोयला खान की ई–नीलामी भी सम्मिलित है, एम एस टी सी का ई–नीलामी प्लेटफॉर्म एक क्लांइट–सर्वर आधारित प्रणाली है जो विपणन, विक्रय और संबंधित निर्णय समर्थन प्रणाली में मदद करता है। रिलेशनल डाटाबेस मैनजमेंट सिस्टम (आर डी बी एम एस) के रूप में ओपरेटिंग सिस्टम आई बी एम ए आई एक्स के साथ आई बी एम डी बी–2 था। इस प्लेटफॉर्म को आंतरिक माध्यम से बनाया गया था और इसे लक्ष्य–आधारित माना गया चूँकि यह प्रत्यक्ष रूप से संगठन के प्राथमिक कार्यों पर असर डालता था। मंत्रालय ने सूचित किया कि एम एस टी सी के ई–नीलामी पोर्टल की तृतीय पक्ष द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा कराई गई थी, सभी संभावित त्रुटियाँ ठीक कर दी गई थी व कंपनी ने इसका प्रमाण–पत्र भी ले लिया था।

## 6.4 लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

### 6.4.1 अपर्याप्त लेखापरीक्षा ट्रेल

कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणाली ने ई–नीलामी के दौरान सिस्टम से बोलीदाताओं के लॉग–आउट ब्यौरों को नहीं पकड़ा जिसके कारण बोलीदाताओं की संपूर्ण गतिविधियों के लेखापरीक्षा ट्रेल का पता नहीं लगाया जा सका। कंपनी को अपनी प्रणाली इस प्रकार बनानी चाहिए थी कि जिससे बोलीदाताओं की लॉग–आउट गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

इस तथ्य को स्वीकारते हुए एम एस टी सी ने कहा (सितम्बर 2015) कि उनकी प्रणाली में बोलीदाताओं के लॉग–आउट ब्यौरे पकड़े नहीं जा रहे थे और भविष्य में होने वाली नीलामी के लिए उन्होंने बोलीदाताओं के लॉग–आउट ब्यौरे रिकार्ड किए जाने के लिए सहमति दी। समापन सम्मेलन में कोयला मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

**एम एस टी सी द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म द्वारा संपूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल प्राप्त नहीं किया जा सका।**

### 6.4.2 प्रणाली का विशिष्ट रूप से निर्माण

***विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्र (एस ई यू पी) का पंजीकरण आई डी के साथ मिलान***

बोलीदाताओं की आई डी जिससे बोलीदाता ई–नीलामी घोषणापत्र को देख सकें एवं ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें को पंजीकृत करवाना इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रणाली में ई–नीलामी के दो चरणों की प्रक्रिया में 245 पंजीकरण आई डी बनाई गईं। पंजीकरण आँकड़ों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि पंजीकरण आई डी को एस ई यू पी से मिलान किये बिना ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों को आबंटित किया गया था जिसके संदर्भ में बोली लगाई जानी थी जबकि बोली एस ई यू पी के लिए लगाई जानी थी तथा एक एस ई यू पी के लिए एक कोयला खान हेतु एक ही बोली प्रस्तुत की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 245 पंजीकरण आई डी में से, 34 पंजीकरण आई डी उन 11 इकाईयों को आबंटित की गई थीं जिन्होंने संबंधित पंजीकरण के लिए समान कर पहचान संख्या (टिन) प्रस्तुत की थी। टिन एक राज्य–विशेष पंजीकरण संख्या है जिसका उद्देश्य केंद्रीय बिक्री कर (सी एस टी), मूल्य वर्धित कर (वैट), इत्यादि का निर्धारण करना है। उपरोक्त मामलों में से कंपनियाँ जैसे कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को), जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड (जे एस पी एल), अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड (यू सी एल) इत्यादि कंपनियों ने अनेक आई डी एक ही टिन से बना रखी थी परन्तु एस ई यू पी वहाँ की प्रस्तुत की जो कि उन राज्यों से बाहर की थी जहाँ उनके टिन पंजीकृत थे।
- एक कंपनी द्वारा बनाई गई तीन पंजीकरण आई डी में से दो पंजीकरण आई डी (अर्थात् 64845 एवं 65340) दिल्ली राज्य के एक ही टिन के साथ प्रयोग की और पाँच विभिन्न कोयला खानों के लिए छत्तीसगढ़ की एक ही एस ई यू पी के लिए बोलियाँ प्रस्तुत की। समान एस ई यू पी के लिए विभिन्न पंजीकरण आई डी द्वारा अलग–अलग कोयला खानों हेतु बोलियाँ प्रस्तुत की गईं जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 7 : समान एस ई यू पी के लिए भिन्न पंजीकरण आई डी**

| कोयला खान | पंजीकरण आई डी | एस ई यू पी |
|---|---|---|
| **बेलगांव** | 64845 | 810 एम डब्ल्यू (4X67.5 एम डब्ल्यू 4 X135) कोरवा, छत्तीसगढ़ |
| **चोटिया; गारे पालमा IV/4; गारे पालमा IV/5; गारे पालमा IV/7** | 65340 | 810 एम डब्ल्यू (4X67.5 एम.डब्ल्यू. 4 X135) कोरवा, छत्तीसगढ़ |

चूँकि ई–नीलामी प्लेटफार्म एक स्वचालित प्लेटफार्म था इसलिए पंजीकरण चरण में ही एस ई यू पी को पंजीकरण आई डी के साथ जोड़ने से प्रणाली में मानवीय त्रुटि के तत्व की संभावना कम हो जाती जो नहीं हुआ क्योंकि इनका मिलान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली क्षीण हो गई।

एम एस टी सी एवं कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) ने अपने उत्तरों (अक्तूबर 2015 एवं मार्च 2016) में बताया कि पंजीकरण के लिए एक विशेष पंजीकरण आई डी के बजाए बोलीदाता के पंजीकरण हेतु प्रणाली में बोलीदाता को पहचानने एवं अन्त्य उपयोग संयंत्र (ई यू पी) को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं थी। बोली लगाने के लिए किसी कंपनी पर एक से ज्यादा आई डी बनाने के लिए कोई रोक नहीं थी। निविदा दस्तावेजों में बोली लगाने हेतु एक विशिष्ट ई यू पी निर्धारित की गई थी जिसे तकनीकी जाँच के समय प्रमाणित किया गया था। किसी भी अधिनियम, नियम व निविदा दस्तावेज के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया था, न ही अनेक आई डी ने निष्पक्षता व पारदर्शिता को प्रभावित किया, जबकि वह वैसे भी अनुमत एवं सर्वविदित था तथा नीलामी के किसी भी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया गया था। एक ही ई यू पी से अनेक बोलियाँ लगाने का एक भी मामला नहीं था जिसमें कि निविदा शर्तों का उल्लंघन हो।

कोयला मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि ई–नीलामी प्रक्रिया में बोली किसी एस ई यू पी के लिए लगाई जानी थी व किसी एक एस ई यू पी के लिए एक कोयला खान के लिए केवल एक बोली लगाई जा सकती थी। अतः स्वचालित प्रणाली (अर्थात् एम एस टी सी का ई–नीलामी प्लेटफार्म) की अभिकल्पना इस प्रकार करनी चाहिए कि पंजीकरण (जो कि विशिष्ट था) का एस ई यू पी के साथ तालमेल हो तथा यह एस ई यू पी के साथ जुड़ा हो। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में ही वैधता जाँच हो सकती थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि किसी एक कंपनी ने किसी नीलामी में उसी एस ई यू पी से दो बोलियाँ प्रस्तुत की हों, की तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के समय मानवीय जाँच की जा रही थी जिससे प्रणाली में मानवीय त्रुटि होने की संभावना थी।

**पंजीकरण प्रक्रिया एवं जारी की गई पंजीकरण संख्या एस ई यू पी के साथ संयोजित नहीं थी, भले ही एस ई यू पी के लिए बोली को लगाया जाना था तथा एक कोयला खान के लिए एक एस ई यू पी हेतु केवल एक ही बोली प्रस्तुत की जा सकती थी।**